न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–16/2020 (GCMS No. 2020/00016) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

आम जनता खवा

1. विजय सिंह पुत्र जुगराज गुर्जर निवासी ग्राम खवा
2. रामचरण पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी खवा
3. चिरंजीलाल पुत्र रामफुल जाति माली निवासी ग्राम खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामनिवास पुत्र हजारी जाति माली।
2. सुरेश पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहम्ण निवासी खिलचीपुर।
3. उदयचंद पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खिलचीपुर।
4. महेशचंद पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहम्ण निवासी खिलचीपुर।
5. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर।

..........रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 18.03.2019 प्रकरण संख्या 29/2016 उनवानी आम जनता खवा जरिये विजयसिंह बगै. बनाम रामनिवास वगै. बावत् आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर।

उपस्थिति:–

1. श्री संदीप शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश गुर्जर, वकील रेस्पोडैन्ट

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

नि र्ण य

दिनांक : 22.09.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2019 को निगरानी प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से पैरवी हेतु श्री कमलेश गुर्जर एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आराजी खसरा नम्बर 19/6 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम खवा सवाई माधोपुर चारागाह भूमि है जिसमें खवा एवं आसपास के क्षेत्र के गांवों के मवेशियां चराई करती हैं। उसमें बैठते है व चारागाह के काम में लेते हैं। रेस्पोडेन्टस का कभी कब्जा नहीं रहा। वक्त आवंटन भूमि चारागाह थी। रेस्पोडेन्टस भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। रेस्पोडेन्टस के खाते में 10 बीघा जमीन पूर्व से ही थी। रेस्पो. को आवंटित भूमि चारागाह थी जिसको बिना किस्म बदले दिनांक 10.11.1975 को आवंटित कर दिया गया। आवंटन शुदा आराजी की किस्म चारागाह थी जिसे सिवायचक अंकित किये जाने का नोट संवत् 2020—23 की जमाबंदी में लगा हुआ है लेकिन किसके आदेश से सिवायचक दर्ज की गई अंकित नहीं है और न कोई ऐसा आदेश वजूद में है। रेस्पो. ने आवंटन आदेश की किसी भी शर्त की पालना नहीं की और न ही उक्त भूमि को कभी काश्त की है। पटवारी से साजबाज कर झूठी एवं मिथ्या कब्जा रिपोर्ट बना दी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 एवं 7 के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चारागाह भूमि ग्राम पंचायत से परमीशन करके ही जिला कलक्टर चारागाह भूमि को चारागाह से सार्वजनिक प्रयोजन से ही अलग किया जा सकता है परन्तु उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा चारागाह भूमि को बारानी तृतीय दर्ज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। चारागाह भूमि में से कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अलग की जाती है तो दूसरी चारागाह भूमि सुरक्षित रखने के आदेश जिला कलक्टर द्वारा पारित किया जाते हैं परन्तु अन्य कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई है। चारागाह भूमि को बिना किसी सक्षम

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

आदेश के ग्राम पंचायत की सहमति के बिना बारानी तृतीय दर्ज कर मात्र रेस्पो. को आवंटित करने के आशय से उक्त कार्यवाही की गई है जबकि चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव लेकर जिला कलक्टर को भेजेगी और फिर जिला कलक्टर लोक प्रयोजन के लिए घोषित करेगा। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2019 निरस्त किया जाकर आवंटन दिनांक 10.11.1975 ग्राम खवा निरस्त की जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुये दलील दी कि अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित की गयी भूमि ख.नं. 19/6 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम खवा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–22 के अनुसार सिवायचक बारानी–3 में परिवर्तित किये जाने का नोट अंकित किया हुआ है तथा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी में भी स्पष्ट अंकित किया है कि आवंटित की जाने वाली भूमि ख.नं. 19/6 बारानी–3 किस्म की है। जहॉ तक आवंटी भूमिहीन नहीं होने का प्रश्न है तो आवंटन फार्म पर प्रार्थी के पिता के नाम 8 बीघा भूमि बतायी गयी है जिसमें प्रार्थी का नोशनल शेयर 4 बीघा भूमि अंकित की है। इस प्रकार प्रार्थी के हिस्से में आने वाली मात्र 4 बीघा होने के कारण आवंटी एक भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने का कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 10.11.1975 को गवाह गिर्राज पुत्र जैनारायण मीना व जगन्या पुत्र मोरया मीना की उपस्थिति में ख.नं. 19/6 का कब्जा सम्भलाया गया है। उक्त दोनों गवाहों के हस्ताक्षर कब्जा रिपोर्ट पर मौजूद हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटी एवं उसके पश्चात क्रेतागण को उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है। इतने वर्षो बाद केवल उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक कराया गया हो। उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक कराये गये आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि वक्त आवंटन चारागाह नहीं थी, बल्कि उक्त भूमि की किस्म मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–22 में बारानी–3 परिवर्तित की जा चुकी थी। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने के कथन की पुष्टि में कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवंटी रामनिवास को दिनांक 10.11.1975 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। क्योंकि वरवक्त आवंटन आवंटित भूमि की किस्म बारानी–3 दर्ज थी। इतने वर्ष पश्चात् केवल मिथ्या, छलपूर्वक कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन मिथ्या, छलपूर्वक आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटित भूमि का आवंटन आवंटी व उसके पश्चात् क्रेतागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। न्यायालय के मत में आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर